

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2016/माघ 16, 1937 No. 85] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2016/MAGHA 16, 1937

### ग्रामीण विकास मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2016

सा.का.िन.145(अ).—चूंकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 42) और इसके प्रावधानों के अनुसार सौंपे गए कृत्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 22 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ.1604(अ) द्वारा किया था;

और चूंकि उक्त अधिसूचना तथा पश्चावर्ती अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 762 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2007, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 787 (अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2007, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 162 (अ) दिनांक 12 मार्च, 2009, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699 (अ), दिनांक 24 सितम्बर, 2009 और दिनांक 20 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469 (अ) द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है;

अत: अब, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केंद्रीय परिषद) नियम, 2006 के नियम संख्या 3 और 4 के साथ पठित उक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (1) और (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार उक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

595 GI/2016 (1)

# (क) अधिनियम की धारा 10(3)(ग) के अधीन राज्य सरकार के प्रतिनिधि :

1	सचिव (ग्रा.वि.), आंध्र प्रदेश सरकार	- सदस्य, पदेन
2	सचिव (ग्रा.वि.), झारखण्ड सरकार	- सदस्य, पदेन
3	सचिव (ग्रा.वि.), मध्य प्रदेश सरकार	- सदस्य, पदेन
4	सचिव (ग्रा.वि.), महाराष्ट्र सरकार	- सदस्य, पदेन
5	सचिव (ग्रा.वि.), राजस्थान सरकार	- सदस्य, पदेन
6	सचिव (ग्रा.वि.), त्रिपुरा सरकार	- सदस्य, पदेन

# (ख) अधिनियम की धारा 10 (3)(घ) के अधीन पंचायती राज संस्थाओं, कामगार संगठनों और वंचित समूहों से गैर सरकारी सदस्य :

1	श्री सतीश चिंडूजी वुइके,	सदस्य
	जिला परिषद प्रमुख,जिला परिषद अमरावती,	
	बोरगांव डांडे, तालुक – धमनगांव (महाराष्ट्र)	
2	श्रीमती शोभा सिंह	सदस्य
	पूर्व-जिला परिषद प्रमुख,	
	जिला परिषद, हनुमानगढ़ (राजस्थान)	
3	श्री सुमती रंजन चमका,	सदस्य
	अध्यक्ष, ब्लॉक पंचायत, रिस्याबारी	
	जिला - ढलाई (त्रिपुरा)	
4	श्री गुलाम मोहम्मद शेख पुत्र श्री अब्दुल अजीज शेख	सदस्य
	सरपंच, चांजर पंचायत,	
	ब्लॉक मरवाह (किश्तवाड), जम्मू एवं कश्मीर	
5	श्रीमती काली बाई,	सदस्य
	सरपंच, ग्राम पंचायत बटाकीडोह,	
	गोहडडोगरी ब्लॉक, जिला - बैंतूल, (मध्य प्रदेश)	
6	श्रीमती केसर देवी रोट	सदस्य
	पूर्व-सरपंच, कडागडा ग्राम पंचायत,	
	ब्लॉक – सांगवाड़ा, जिला – डूंगरपुर (राजस्थान)	
7	श्री प्रेम सिंह मारको	सदस्य
	अखिल भारतीय अध्यक्ष,	
	अखिल भारतीय वनवासी मजदूर महासंघ, ग्राम – मोहाली, तहसील-	
	समनपुर, जिला – डिंडोरी (मध्य प्रदेश)	

8	श्री प्रमथेश अंबास्ट, को-फाउण्डर, समाज प्रगति सहयोग,	सदस्य
	गांव – जाट शंकर, तहसील – बागली,	
	जिला – देवास, मध्य प्रदेश – 455227	
9	श्री रामचन्दर खारदी, आरएएस (सेवा निवृत्त),	सदस्य
	गायत्री शक्तिपीठ, इंद्रखेत,	
	पोस्ट – रामपुर, जिला – डूंगरपुर (राजस्थान)	
10	डॉ. धन कुमार पुत्र श्री संतराम	सदस्य
	वी.पी.ओ. इसराना, तहसील – इसराना,	
	जिला – पानीपत, हरियाणा	
11	डॉ. रानी बांग,	सदस्य
	सोसाइटी फॉर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च इन कम्यूनिटी हैल्थ	
	(एसईएआरसीएच)	
	गडचिरौली, महाराष्ट्र – 442605	
12	सुश्री कामायनी स्वामी,	सदस्य
	महा सचिव, जन जागरण शक्ति संगठन,	
	ए/5 सिद्धार्थ अपार्टमेंट, जगदेव पथ, पी.एस. एयरपोर्ट, पटना	
	बिहार – 800014	

# (ग) अधिनियम की धारा 10 (3)(ङ) के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वाले गैर सरकारी सदस्य :

1	सुश्री मधु खेतान	सदस्य
	इंटीग्रेटर, प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रधान), ई-1/ए कैलाश	
	कॉलोनी, नई दिल्ली	
2	श्री अमिताभ मुखोपाध्याय, सेवा निवृत्त आईएएएस अधिकारी, ए-7/6, वसंत	सदस्य
	विहार, नई दिल्ली – 110057	
3	डॉ. मनोज पांडा, निदेशक,	सदस्य
	इंस्टीटयूट ऑफ इकॉनामिक ग्रोथ, दिल्ली,	
	यूनिवर्सिटी इनक्लेव, नार्थ कैम्पस, नई दिल्ली – 110007	
4	सुश्री वर्तिका नंदा, सहायक प्रोफेसर,	सदस्य
	पत्रकारिता विभाग, लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली	
5	प्रो. एन.एच. रविन्द्रनाथ, आईआईएससी, सैन्ट्रल फॉर सस्टेनेबल,	सदस्य
	टेक्नोलॉजीज, इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ सांइन्स, बेंगलुरू – 560012	
6	डॉ. अमृता पटेल, अध्यक्ष, फॉउण्डेशन फॉर इकोलोजिकल सिक्यूरिटी	सदस्य
	(एफईएस), एचडीडीबी कैम्पस, आनंद, गुजरात - 388001	

7	न्यायमूर्ति जे.सी. वर्मा (सेवा निवृत्त), 90, सेक्टर-।।, चंडीगढ़	सदस्य
8	श्री एम.एन. रॉय (पूर्व आईएएस), फ्लैट – 05, प्लॉट केबी-2, सेक्टर - ।।।,	सदस्य
	सॉल्ट लेक, कोलकाता – 700098	

उपर्युक्त सदस्यों की पदाविध राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए होगी। नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्त राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद) नियम, 2006 द्वारा विनियमित होंगी।

[फा. सं. एल-11011/01/2013-आर.ई.-I] अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2016

**G.S.R. 145(E).**—whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 1604(E), dated the 22<sup>nd</sup> September, 2006 the Central Government constituted the Central Employment Guarantee Council to discharge the functions and perform duties assigned to it by or under the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);

And whereas, the term of office of the members nominated *vide* the said notification and subsequent notifications number G.S.R.762(E), dated 5<sup>th</sup> December, 2007, G.S.R.787(E), dated 24<sup>th</sup> December, 2007, G.S.R.162(E), dated 12<sup>th</sup> March, 2009, G.S.R.699 (E), dated 24<sup>th</sup> September, 2009 and G.S.R.469 (E), dated the 20<sup>th</sup> June, 2011 has been expired;

Now, therefore, in exercise of the power conferred under sub-sections (1) and (3) of Section 10 of the said Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 read with rules 3 and 4 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006, the Central Government hereby nominates the following members on the Council under sub-section (3) of Section 10 of the said Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, namely;-

#### (A) Representatives of the State Government under Section 10(3)(c) of the Act:

1	Secretary (RD), Government of Andhra Pradesh	-Member, ex-officio
2	Secretary (RD), Government of Jharkhand	-Member, ex-officio
3	Secretary (RD), Government of Madhya Pradesh	-Member, ex-officio
4	Secretary (RD), Government of Maharashtra	-Member, ex-officio
5	Secretary (RD), Government of Rajasthan	-Member, ex-officio
6	Secretary (RD), Government of Tripura	-Member, ex-officio

# (B) Non- official members from Panchayati Raj Institutes, organisations of workers and disadvantaged groups under section 10(3) (d) of the Act:

	of workers and disadvantaged groups under section 10(5) (d) of the Ac	· L · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.	Sh. Satish Chinduji Vuike	Member
	Zila Parishad Pramukh,	
	Zila Parishad, Amaravati,	
	Borgaon Dhande,	
	Taluka- Dhamangaon (Maharashtra)	
2.	Smt. Shobha Singh	Member
	Ex-Zila Parishad Pramukh,	
	Zila Parishad, Hanumangarh (Rajasthan)	
3.	Sh. Sumati Ranjan Chamka	Member
	Chairperson, Block Panchayat, Rishyabari	
	District-Dhalai (Tripura)	
4.	Shri Ghulam Mohammad Sheikh	Member
	S/O Shri Abdul Aziz Sheikh	
	Sarpanch, Panchayat Chanjar,	
	Block Marwah, District-Kishtawar, (J&K)	
5.	Smt. Kali Bai,	Member
	Sarpanch, Gram Panchayat Batakidoh,	
	Gohdadogari Block, District-Betul	
	(Madhya Pradesh)	
6.	Smt. Kesar Devi Roat,	Member
	Ex-Sarpanch, Kadagada Gram Panchayat,	
	Block- Sangwada	
	District -Dungarpur (Rajasthan)	
7.	Shri Prem Singh Marko	Member
	All India President,	
	Akhil Bhartiya Vanavasi Mazdoor Mahasangh,	
	Gram- Mohali, Tehsil-Samnapur,	
	District - Dindori (M.P.)	
8.	Shri Pramathesh Ambasta,	Member
	Co-Founder, Samaj Pragti Sahyog,	
	Village- Jatshankar, Tehsil- Bagli,	
	District- Dewas, Madhya Pradesh-455227	
9.	Shri Ramachander Kharadi, RAS (Retd.),	Member
	Gayatri Shaktipeeth, Indrakhet,	
	Post-Rampur, District-Dungarpur (Rajasthan)	
10	Dr. Dhan Kumar S/o Shri Santram	Member
	V.P.O Israna,	
	Tehsil-Israna, District- Panipat (Haryana)	
11	Dr. Rani Bang,	Member
	Society for Education, Action and Research in Community Health	
	(SEARCH)	
12		Member
12	Gadhchiroli, (Maharashtra) - 442605  Ms. Kamayini Swamy, General Secretary, Jan Jagran Shakti Sangathan, A/5 Sidhartha Apartment, Jagdeo Path, P.S. Airport, Patna (Bihar) - 800014	Member

### (C) Non-official members representing the State under section 10(3) (e) of the Act;

1	Ms. Madhu Khetan.	Member
	Integrator,	
	Professional Assistance for Development Action (PRADHAN), E-1/A	
	Kailash Colony, New Delhi	
2	Shri Amitabh Mukhopadhyay,	Member
	Retd. IAAS officer,	
	A-7/6, Vasant Vihar, New Delhi-110057	
3	Dr. Manoj Panda, Director,	Member
	Institute of Economic Growth, Delhi University Enclave, North Campus,	
	New Delhi-110007	
4	Ms. Vartika Nanda,	Member
	Asst. Professor, Department of Journalism,	
	Lady Shri Ram College, Delhi	
5	Prof. N.H. Ravindranath	Member
	IISc,	
	Central for Sustainable Technologies,	
	Indian Institute of Science, Banglore-560012	
6	Dr. Amrita Patel,	Member
	Chairman,	
	Foundation for Ecological Security (FES),	
	HDDB Campus, Anand, Gujarat-388001	
7	Justice J. C. Vemra (Retd.),	Member
	90, Sector-11, Chandigarh	
8	Shri M. N. Roy (Ex-IAS)	Member
	Flat -05, Plot KB-2	
	Sector-III, Salt lake, Kolkata 700098	

The term of the office of the above mentioned members shall be for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The other terms and conditions of appointment shall be regulated by the National Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006.

[F. No. L-11011/1/2013-RE-I] APARAJITA SARANGI, Jt. Secy.